

प्रारूप - "अ"

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-इंदौर (मध्यप्रदेश)

आदेश क्रमांक 9950

स्थान: इंदौर, दिनांक 26/03/2020

आदेश

मेरे संज्ञान में यह लाया गया है, कि COVID-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावी रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने के लिये एपिडेमिक डिस्सीज एक्ट, 1897 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विनियम के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।

एपिडेमिक डिस्सीज एक्ट, 1897 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक PS/Health/17/Medi-3/595 भोपाल दिनांक 23.03.2020 के पैरा 04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न सेवाओं/सुविधाओं को सवमित व्यक्तियों के उपचार हेतु अधिगृहित किया जाता है।

विवरण: -

1. संस्थान/अस्पताल का नाम : न्यू विशेष अस्पताल
2. पता : खण्डवा रोड, इंदौर
3. समस्त सेवायें/सुविधायें : 300 पलंग (जनरल वार्ड, प्राईवेट वार्ड)
वर्तमान में 02 फ्लोर पर 50 पलंग कार्यरत

मेडिकल आई.सी.यू - 18 पलंग

एन.आई.सी.यू./पी.आई.सी.यू - वर्तमान में कार्यरत नहीं।

ऑपरेशन थियटर - 04 कार्यशील।

वेन्टिलेटर की संख्या - 08 कार्यरत।

सेन्ट्रल ऑक्सीजन सप्लाई - वर्तमान में कार्यशील

सी.टी./एम.आर.आई./अल्ट्रासाउण्ड/एक्स-रे/पैथोलॉजी - कार्यशील

4. समस्त मानव संसाधन : स्टॉफ लगभग 70

उपयुक्त संस्थान के स्वामित्व धारी/प्रबंधक को सूचित किया जाता है, कि वह उपलिखित सेवाओं/सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से अधोहस्ताक्षरकर्ता के सुपुर्द करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला - इंदौर (म.प्र.)

स्थान: इंदौर, दिनांक 26/03/2020

आदेश क्रमांक 9951-56

प्रतिलिपि- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल म.प्र.।
5. अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला - इंदौर (म.प्र.)